

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 1826 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2026,

दिनांक: 30 जून, 2026

“संशोधित कार्यालय ज्ञाप”

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या: 1768 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2026, दिनांक 30.06.2026 को आंशिक संशोधित करते हुये सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	सर्व श्री				
1	मुकेश बहुगुणा / टिहरी	सिंचाई खंड विकासनगर (डाकपत्थर)	सिंचाई खंड, चमोली (उपखंड-2)	धारा 7 (ख)	सिंचाई खंड, चमोली (उपखंड-4) का अतिरिक्त प्रभार

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत ज्ञाप संख्या: 1768 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2026, दिनांक 30.06.2026 में वर्णित शर्तें यथावत् रहेगी।

सुभाष चन्द्र
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 1826 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2026 / तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / (स्तर-2) / (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, ।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आई0टी0सैल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
10. कट फाईल हेतु ।

(संजय सिंह)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता